न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 20/2023

अनवान : –

1. कुरड़ाराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. चानणमल पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः –29/2/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 66/56 की कुल 4.8440 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण की वल्दियत मामराज दर्ज है तथा गांव का नाम ढिलकी जाटान दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के पिता मा नाम मामचन्द है तथा प्रार्थीगण ग्राम जबरासर के निवासी है इसलिए प्रार्थीगण अपने पिता का नाम मामराज की जगह मामचन्द व ढिलकी जाटान तहसील नोहर के स्थान पर जबरासर संशोधित करवा पाने के अधिकारी है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजों में प्रार्थीगण की वल्दियत मामराज की जगह मामचन्द व ढिलकी जाटान की जगह जबरासर है इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के वल्दीयत मामराज की जगह मामचन्द व ढिलकी जाटान तहसील नोहर के स्थान पर जबरासर संशोधित करवा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थीगण के पिता का नाम मामराज की जगह मामचन्द व ढिलकी जाटान की जगह जबरासर दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थीगण का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:08:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि प्रार्थीगण के पिता

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

का नाम मामराज की जगह मामचन्द व ढिलकी जाटान की जगह जबरासर किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम मामचन्द व पता जबरासर है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम मामराज व पता ढिलकी जाटान दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीगण को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थीगण के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम मामचन्द व पता जबरासर किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 66/56 की कुल 4.8440 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण अपने पिता का नाम मामराज की जगह मामचन्द व ढिलकी जाटान की जगह जबरासर दर्ज करवाना चाहते है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता का नाम मामराज व साकिन जबरासर अंकित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 66/56 की कुल 4.8440 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम **मामराज के स्थान पर मामचन्द व साकिन ढिलकी जाटान के स्थान पर जबरासर किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच कुरड़ाराम व मामचन्द पुत्रगण मामराज के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का कुरड़ाराम व मामचन्द पुत्रगण मामराज के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीगण का नाम कुरड़ाराम व मामचन्द पुत्रगण मामराज ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/02/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:08:18 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2023 / 212 दिनांक : 04/03/24

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 20 / 2023 अनवानी कुरड़ाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 20 / 2023

अनवान : –

1. कुरड़ाराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. चानणमल पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 66 / 56 की कुल 4.8440 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम **मामराज के स्थान पर मामचन्द व साकिन ढिलकी जाटान के स्थान पर जबरासर किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच कुरड़ाराम व मामचन्द पुत्रगण मामराज के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का कुरड़ाराम व मामचन्द पुत्रगण मामराज के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीगण का नाम कुरड़ाराम व मामचन्द पुत्रगण मामराज ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:08:18 IST
Reason: SelfAttested